

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

अधिसूचना

संख्या-05/स्था0/2010(खण्ड).....

पटना/दिनांक.....

जिला पदाधिकारी, आरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, वरीय उप समाहर्ता, भोजपुर, आरा को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 213 (i) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-3 में निहित प्रावधानों के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के कार्य सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3288.

पटना, दिनांक 19/07/2013

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गूलजारबाग, पटना, राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त पटना/वित्त (बै0 दा0 नि को) विभाग, बिहार, पटना जिला पदाधिकारी, आरा/श्री प्रदीप कुमार गुप्ता, वरं य उपसमाहर्ता सह जिला परिवहन पदाधिकारी, आरा/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार पटना। मोटर यान निरीक्षक भोजपुर आरा/माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव, प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई0 टी0 मैनेजर, कम्प्युटर कोषांग एवं स्थापना शाखा, परिवहन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/07/13

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।